हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०- 20/2014- 206 /वि०स० 4-12/15

प्रिय ....

पंचदश बिहार विधान सभा का पंचदश सत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 से प्रारम्भ हुआ जो दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 तक चला । इस सत्र में कुल पाँच (5) बैठकें संपन्न हुई, उक्त सत्र दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 को सभा की बैठक के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पंचदश बिहार विधान सभा के पंचदश सत्र के आरम्भ के अवसर पर माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए उल्लेख किया गया कि संसदीय लोकतंत्र के लिए जन-प्रतिनिधियों को संविधान के उपबन्धों तथा विधान मंडल में कार्यों के संचालन हेतु बनाये गये नियमों और विनियमों को दृढ़ता से पालन करते हुये जनहित की भावनाओं को सदन में रखना चाहिए । संसदीय लोकतंत्र में विधायी निकाय को सुदृढ करने हेतु पक्ष एवं विपक्ष को एक दूसरे की बातों को शांतिपूर्ण ढंग से सुनने तथा उनके विचारधाराओं के संबंध में अपना सुविचार रखने की आवश्यकता है । माननीय सदस्यों से सभा के अन्दर ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वे नियमों का पालन करते हुए सभा की मर्यादा और गरिमा बनाये रखें तथा सभा से बाहर भी उनका आचरण ऐसा होना चाहिये कि आम जनता उसे पसन्द करे और विधान सभा जैसे उच्च संस्था की प्रतिष्ठा गुरूत्तर बढ़ता रहे ।

विधायी एवं संसदीय प्रक्रिया से छात्र छात्राओं को अवगत कराने हेतु पूर्व की भांति इस सत्र में भी प्रतिदिन 50 छात्र/छात्राओं को सदन के प्रथम पाली की कार्यवाही देखने का अवसर प्रदान किया गया है ।

सदन में प्रश्नोत्तर काल को आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीधा एवं डेफर्ड प्रसारण कराने की व्यवस्था की गई है, जिससे बिहार के आम-अवाम सदन में आपकी गतिविधियों से रू-ब-रू हो सके । बिहार विधान सभा की कार्यवाही को जन-जन तक पहुँचाने के लिए बिहार विधान सभा ने वेबकास्ट सेवा प्रारम्भ की है जिसे webcast.gov.in/biharvs पर देखा जा सकता है । साथ ही, संसदीय प्रणाली को प्रभावशाली बनाने हेतु बिहार विधान सभा सचिवालय ने प्रश्नों की ऑन लाईन सूचना प्रणाली प्रारम्भ की है, जिससे माननीय सदस्यों को प्रश्न देने, प्रश्नों के उत्तर जानने संबंधी सुविधायें उपलब्ध हुई है, जिसे आप हाईपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल http://blaqrms.bih.nic.in पर देख सकते है ।

मुझे आशा और विश्वास है कि सदन के संचालन में आप सभी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा ।

अनुमत विधेयक

चतुर्दश सत्र में बिहार विधान मंडल द्वारा पारित महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमत 01 (एक) एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत 06 (छह) विधेयकों के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया ।

वित्तीय कार्य

दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 को वित्त मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया ।

दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 को द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित गृह विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद के उपरान्त स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये। तदुपरान्त बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2014 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

राजकीय संकल्प

दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 को संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित "भारत का संविधान (121वाँ संशोधन) विधेयक, 2014" के अनुसमर्थन का राजकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया।

सभा मेज पर कागजातों का रखा जाना

1. गृह (विशेष) विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3(4) के तहत् मधुबनी पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन Volume-1 तथा प्रतिवेदन पर विभाग द्वारा समर्पित कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन (ATR) की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी।
2. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1991 की धारा-17(3) के तहत् "बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रतिवेदन, 2014 एवं उसपर सरकार का व्याख्यात्मक संलेख" की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी।
3. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के द्वितीय तिमाही के प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी प्रतिवेदन की प्रति सभा के पटल पर रखी गयी।
4. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम का वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी।
5. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन "राजस्व प्रक्षेत्र", "वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)" तथा "विनियोग लेखे", जिन्हें बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी तथा जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
6. आपदा प्रबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा- 70(2) के तहत् बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का वर्ष 2012-13 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी।

विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2014 का पुरःस्थापन, विचारण एवं पारण किया गया।

याचिका

इस सत्र में कुल 19 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 15 स्वीकृत हुए तथा 04 अस्वीकृत हुआ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 88 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 74 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 14 अस्वीकृत हुए। स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया।

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल 673 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 446 प्रश्नों की सूचनाएँ स्वीकृत किया गया । स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में 11 अल्पसूचित, 319 तारांकित एवं 116 अतारांकित थे । इन स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में से 20 प्रश्न उत्तरित हुए तथा 38 प्रश्नोत्तर सभा पटल पर रखे गये । 08 प्रश्न अपृष्ठ एवं 378 प्रश्न अनागत हुए ।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 78 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 08 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी । तथा 62 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया एवं 08 ध्यानाकर्षण सूचनायें अमान्य हुए ।

शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा लोकहित के विभिन्न मुद्दों को उठाया गया ।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में कुल 96 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 89 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ स्वीकृत तथा 07 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत गैर सरकारी सूचनाओं में से 85 सूचनाएँ सदन में वापस लिये गए तथा 01 सदन द्वारा अस्वीकृत किये गये । 03 सूचनाएँ संबंधित माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण नहीं लिये जा सके ।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शाँति के लिए खड़े होकर एक मिनट का मौन रखा गया । तथा सदन की ओर से शोक संतृप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

(1) स्वर्गीय डॉ॰ विश्वेश्वर खाँ, पूर्व स॰वि॰स॰

(2) स्वर्गीय रीझण राम, पूर्व स॰वि॰स॰

(3) स्वर्गीय बम भोला यादव, पूर्व स॰वि॰स॰

(4) स्वर्गीय प्रो॰ पी॰एन॰ शर्मा, पूर्व स॰वि॰प॰

(5) स्वर्गीय फैयाजुल आजम, पूर्व सांसद एवं सभा सदस्य

(6) स्वर्गीय संत प्रसाद सिंह, पूर्व स॰वि॰स॰

(7) स्वर्गीय डॉ॰ विजय कुमार सिंह, पूर्व स॰वि॰स॰

(8) स्वर्गीय इन्द्र कुमार, पूर्व स॰वि॰प॰ एवं

दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को पाकिस्तान के पेशावर में सैनिक स्कूल पर आतंकी हमला में हुये 132 स्कूली बच्चों की नृशंस हत्या की भर्त्सना तथा दिवंगत आत्माओं को चिर-शांति एवं शोक-संतप्त परिवारों को धैर्य एवं शक्ति प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गई ।

समापन भाषण

दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात एवं अनिश्चित काल के लिए स्थगन के पूर्व माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समापन भाषण दिया गया । अपने समापन भाषण में उन्होंने, भारत के अनमोल रत्न तथा जय विज्ञान के सूत्रदाता, विशाल हृदय के धनी एवं संसदीय प्रणाली के प्रेरणादाता श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा स्वतंत्रा सेनानी एवं बहु-आयामी व्यक्तित्व के धनी स्व० पं० मदन मोहन मालवीय को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ''भारत रत्न'' देने की घोषणा के लिए अपने एवं पूरे सदन की ओर से भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी को धन्यवाद दिया ।

सत्र के संचालन में भरपूर एवं सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, नेता विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों, पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, दूरदर्शन, आकाशवाणी, सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों को भी अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक करने हेतु धन्यवाद दिया ।

सत्रावसान

पंचदश बिहार विधान सभा के पंचदश सत्र का सत्रावसान दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 को सभा की बैठक के उपरांत अधिसूचना संख्या-सं०का०-1/वि०म०(सत्र)01-01/2013-38 पटना, दिनांक-20 जनवरी, 2015 द्वारा कर दिया गया ।

सधन्यवाद

आपका विश्वासी

6.2.15

(हरेराम मुखिया)
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

....

....

....

....